प्रश्न सं. [क्र. 341]

तारांकित प्रश्न क्र. – 341 सदन में उत्तर दि. – 21/3/22 प्रपत्र – अ 1/2
मान. वि. – श्री सुशील कुमार तिवारी RG-31(i)-2009

(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सम्पूर्ण गैर–विद्युतीकृत क्षेत्र में/बहु–उपभोक्ता काम्पलेक्स/कालोनी में अधोसंरचना स्थापित किये जाने हेतु भार तथा प्रभारों को प्रचलित दर–अनुसूची (Current Schedule of Rates) के आधार पर प्राक्कलन तैयार करेगा। तथापि, गैर–विद्युतीकृत/बहु उपभोक्ता कॉम्पलेक्स/कालोनी हेतु भार आकलन के मापदण्ड पर विचार के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय संहिता, जैसा कि वह समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार लागू हो, का परामर्श लिया जा सकेगा।

(ii) प्रवर्तक (प्रोमोटर)/भवन निर्माता (बिल्डर) अथवा आवेदक(ों) को एक ऐसा प्राक्कलन प्रदाय किया जाएगा जिन्हें कि प्राक्कलित राशि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमा करनी होगी ।

अथवा

आवेदक यदि इच्छुक हो, तो उसे कार्य की प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों को जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों की संपूर्ण राशि जमा किये जाने पर ही, आवेदक द्वारा कार्य का सम्पादन किसी अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार/एजेन्सी से कराया जा सकेगा । तथापि, ऐसे प्रकरणों में, कालोनी के आंशिक कार्य को भारित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी ।

अथवा

आवासीय कालोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता द्वारा निम्न दर्शाई गई राशि अनुज्ञप्तिधारी के पास कालोनी के विद्युतीकरण कार्य हेतु जमा कराई जा सकेगी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र के आंशिक क्षेत्र के विद्युतीकरण का कार्य, उक्त कार्य हेतु जो आवासीय कालोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता से प्राप्त की गई हो, आंशिक विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ कर सकेगा । उपभोक्ता के स्वामित्व वाले क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य के उपरान्त, उपभोक्ता द्वारा स्थाई संयोजन प्राप्त किया जाएगा । उपभोक्ता को अपने स्वयं के व्यय पर उसके परिसर को सेवा तन्तुपथ (लाईन) स्थापित करने व्यवस्था करनी होगी।

सरल क्रमांक	विवरण	कालोनी की सम्पूर्ण विद्युतीकरण व्यवस्था की प्रत्याशा में देय प्रभार (रूपये प्रति किलोवाट)
1.	कालोनी का प्राक्कलित भार 2,000 किलोवॉट से अधिक न होने पर	रू. 3,000
2.	कालोनी का प्राक्कलित भार 2,000 किलोवॉट से अधिक होने पर	रू. 4,000

(iii) यदि किसी विद्युतीकृत कालोनी के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तथा विस्तारित क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाना हो तो ऐसी दशा में विकास अभिकरण (डेवलपर)/भवन निर्माता (बिल्डर) समिति (सोसायटी)/उपभोक्ताओं का संघ (एसोसियेशन)/उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विस्तारित क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के स्वामित्व वाले विस्तारित क्षेत्र हेतु उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति उपरान्त ही विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा ।

(iv) उपरोक्त के अतिरिक्त, वैयक्तिक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (Supply Affording Charges), जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में निर्दिष्ट किया गया है, जमा करने होंगे ।

(ङ) **अनिवेशित (Unplanned)/असंगठित बस्तियों (Unorganised Habitants) जैसे क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय हेतु**

4.5.1 उपरोक्त उपश्रेणी में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं :

(i) अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्र (Notified Slum Areas)

(ii) अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्रों के अतिरिक्त अधिसूचित क्षेत्र (Other that notified Slum Areas)
(iii) घोषित की गई अवैध कालोनियां (Declared illegal Colonies)
(iv) असंगठित बस्तियां (Unorganised Habitations)

4.5.2 उपरोक्त क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :

(i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों की पहचान नगर पालिक निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत से प्राप्त की गई सूची के आधार पर करेगा तथा इनके लिये क्षेत्रवार प्राक्कलन तैयार करेगा । संयोजित भार का आंकलन विद्युत प्रदाय संहिता, 2004, जैसा कि इस समय–समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) उपरोक्त प्राक्कलनों के आधार पर प्रति किलोवॉट विद्युतीकरण (केवल निम्न दाब तन्तुपथ तथा ट्रांसफार्मर हेतु) की लागत की घोषणा की जाएगी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे वृहद प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा । उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युतीकरण की लागत रू. 3,000 प्रति किलोवाट से अधिक न होगी ।

(iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सांसद/विधान सभा सदस्य/भारत सरकार/मध्यप्रदेश सरकार/आश्रय निधि अनुसूचित जाति उपयोजना/अनुसूचित जनजाति उपयोजना/जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), आईएचएसडीपी, एमपीयूएसपी(डीएफआईडी) आदि जैसी योजना से प्राप्त निधि का उपयोग कर सकेगा तथा उक्त सीमा तक उपरोक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु प्राक्कलित राशि को आकलित (क्रेडिट) कर सकेगा ।

(iv) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त क्षेत्र के लिये, जिसका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जा चुका हो, कार्य विभागीय तौर पर प्रारंभ किया जाएगा ।

(v) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं से प्राप्त किया गया भुगतान केवल उनके कार्य हेतु उपयोग किया जाए । इसका अनुवीक्षण (मानीटंरिग) एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर मुख्य अभियंता के स्तर से कम न होगा ।

(vi) ऐसी दशा में जहां उपभोक्ता उपरोक्त दर्शाई गई राशि को उक्त वर्ष में जिसके अन्तर्गत इसका प्राक्कलन स्वीकृत किया गया हो, जमा नहीं करता है तो उपभोक्ता को आवेदन करते समय उपरोक्त (ii) में दर्शायेनुसार विद्युतीकरण की लागत में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसके किसी अंश को जोड़कर राशि जमा करनी होगी ।

(vii) उपरोक्त के अतिरिक्त वैयक्तिक उपभोक्ताओं की विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में विनिर्दिष्ट किया गया है, जमा करने होंगे ।

(च) 100 अश्वशक्ति से अधिक निम्न दाब संयोजनों को उच्च दाब में परिवर्तन किया जाना

4.6.1 100 अश्वशक्ति (75 किलोवॉट) से अधिक संयोजित भार के विद्यमान निम्न–दाब संयाजनों के प्रकरणों में, जो कि उच्च–दाब संयोजनों में, उपभोक्ता के परिसर में स्थान उपलब्ध न होने के कारण, स्वयं के ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन हेतु, परिवर्तित नहीं किये जा सके हों, वहां पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उच्च–दाब सांयोजन, अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाले ट्रांसफार्मर से जो कि उपभोक्ता परिसर से बाहर कहीं भी स्थित हो, निम्न–लिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर उपलब्ध कराएगा :

ए. उपभोक्ता, परिवर्तन के समय, प्रचलित दर–अनुसूची (करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स) के अनुसार ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की प्राक्कलित लागत में से पूर्व में भुगतान की गई ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की लागत को घटाकर भुगतान करेगा ।

बी. ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र का सामान्य संधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा जिस हेतु उपभोक्ता को संधारण प्रभारों का भुगतान विनिर्दिष्ट दरों पर करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान ट्रांसफार्मर को उचित क्षमता द्वारा प्रतिस्थापित/परिवर्तित कर सकेगा यदि इसे उपभोक्ता की संविदा मांग को दृष्टिगत रखते हुए हुए बदला जाना आवश्यक हो। आवर्धन की लागत उपभोक्ता द्वारा देय होगी ।

सी. वितरण अनुज्ञप्तिधारी अन्तक खंबे (टर्मिनल पोल) से निम्न–दाब केबल उपभोक्ता के परिसर में संयोजन बिन्दु तक स्थापित करेगा जिसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

डी. उपभोक्ता उच्च–दाब प्रदाय हेतु अनुबन्ध का निष्पादन करेगा।

ई. ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल विशिष्ट उच्च–दाब उपभोक्ता हेतु ही किया जाएगा। ट्रांसफार्मर तथा उससे संबद्ध उपकरणों के असफल हो जाने की दशा में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इसे बदलना होगा तथा इसे बदले जाने की लागत केवल उपभोक्ता द्वारा ही वहन की जाएगी।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

लारा. प्र.क्र. – 341 सदन में उत्तर दि. – 21/3/2022 प्रपत्र–ब (1/1)
मा. वि. – श्री सुशील कुमार तिवारी
विद्युत प्रदाय संहिता – 2021

उपभोक्ताओं द्वारा निष्पादित कराया गया सेवा संयोजन/विस्तार कार्य

4.6 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से अपने परिसर तक सेवाप्रदाय तन्तुपथ (सर्विस लाइन) स्थापित करने का कार्य "सी" श्रेणी या इससे उच्च श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार तथा उच्च वोल्टेज तन्तुपथ, वितरण या उच्चदाब उपकेन्द्र और निम्नदाब सेवा तन्तुपथ के विस्तार का कार्य "ए" श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन तथा अनुमोदित नक्शे के अनुसार निर्दिष्ट समयावधि के भीतर करवा सकता है।ऐसी स्थिति में, उपभोक्ता को स्वयं सामग्री की अधिप्राप्ति करनी होगी। सामग्री सुसबद्ध भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों या इसके समतुल्य के अनुरूप होनी चाहिए तथा, जहां लागू हो, आई.एस.आई. चिन्हित होनी चाहिए। इसके लिये अनुज्ञप्तिधारी उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जांच केलिए लिखित साक्ष्य की मांग भी कर सकेगा। उपभोक्ता को पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान यथाप्रयोज्य मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम में निर्दिष्ट अनुसार करना होगा।

4.7 यदि उपभोक्ता निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने में चूक करता हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को 15 दिवस की सूचना देकर विद्युत आपूर्ति का आवेदन निरस्त कर सकेगा तथा ऐसा होने पर उपभोक्ता को पुनः इस हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन

4.8 वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्राथमिकता के आधार पर अपनी वेबसाईट तथा अपने समस्त कार्यालयों के सूचना पटल पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा, अर्थातः–

(क) नवीन संयोजन, अस्थाई संयोजन, मापयंत्र या सेवा लाइन के स्थानांतरण, उपभोक्ता प्रवर्ग में श्रेणी के परिवर्तन, भार में वृद्धि, भार में कमी या नाम में परिवर्तन, स्वामित्व के हस्तान्तरण और परिसरों के स्थानान्तरण आदि की स्वीकृति देने के बारे में विस्तृत प्रक्रिया ;

(ख) उन कार्यालयों का पता तथा दूरभाष क्रमांक जहां भरे गये आवेदन को प्रस्तुत किया जा सकता है ;

(ग) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाईन जमा करने के लिये वेबसाईट का पता ;

(घ) आवेदन के साथ संलग्न किये जाने के लिये अपेक्षित प्रलेखों की प्रतियों की पूर्ण सूची ;

(ङ) आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले सभी लागू प्रभार ;

(च) सभी प्रकार के संयोजनों के साथ–साथ विद्यमान संयोजन में उपांतरण करने के लिये सभी आवेदन प्रपत्रों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सभी स्थानीय कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ–साथ उसकी वेबसाईट पर निःशुल्क डाउनलोड के लिये उपलब्ध कराये जाएंगे।

4.9 ऑनलाईन आवेदन प्रपत्रों को जमा करने के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप का निर्माण करेगा।

4.10 आवेदक के पास आवेदन प्रपत्रों को हार्ड कॉपी के रूप में या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल